# *भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय*

## मांग संख्या 50

## लोक उद्यम विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार हैः

*(करोड़ रुपए)*

| | मुख्य शीर्ष | बजट 2008 -2009 | | | संशोधित 2008 -2009 | | | बजट 2009 -2010 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ |
| राजस्व | | 10.00 | 4.50 | 14.50 | 10.00 | 6.85 | 16.85 | 10.00 | 7.20 | 17.20 |
| *पूंजी* | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| **जोड़** | | **10.00** | **4.50** | **14.50** | **10.00** | **6.85** | **16.85** | **10.00** | **7.20** | **17.20** |
| 1. सचिवालय - आर्थिक सेवाएं | 3451 | 0.60 | 3.75 | 4.35 | 0.60 | 6.10 | 6.70 | 0.50 | 6.45 | 6.95 |
| 2. अन्तर्राष्ट्रीय उद्यम संवर्धन केन्द्र को अंशदान | 2852 | ... | 0.75 | 0.75 | ... | 0.75 | 0.75 | ... | 0.75 | 0.75 |
| 3. के.स.क्षे.के उपक्रमों के उपयुक्त कर्मचारियों के लिए परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण और पुनर्नियोजन स्कीम | 2852 | 7.10 | ... | 7.10 | 7.10 | ... | 7.10 | 8.00 | ... | 8.00 |
| 4. केन्द्रीय पब्लिक सेक्टर उद्यमों और राज्य स्तर के सरकारी उद्यमों से संबंधित व्यापक मुद्दों पर अनुसंधान,विकास और परामर्शी सेवाएं | 2852 | 1.30 | ... | 1.30 | 1.30 | ... | 1.30 | 0.50 | ... | 0.50 |
| 5. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के हित की परियोजनाओं/योजनाओं के लिए प्रावधान | 2552 | 1.00 | ... | 1.00 | 1.00 | ... | 1.00 | 1.00 | ... | 1.00 |
| ***कुल जोड़*** | | ***10.00*** | ***4.50*** | ***14.50*** | ***10.00*** | ***6.85*** | ***16.85*** | ***10.00*** | ***7.20*** | ***17.20*** |
| | विकास शीर्ष | बजट समर्थन | आं.ब. बा.सं. | जोड़ | बजट समर्थन | आं.ब. बा.सं. | जोड़ | बजट समर्थन | आं.ब. बा.सं. | जोड़ |
| **ग. आयोजना परिव्यय** | | | | | | | | | | |
| 1. सचिवालय - आर्थिक सेवाएं | 13451 | 0.60 | ... | 0.60 | 0.60 | ... | 0.60 | 0.50 | ... | 0.50 |
| 2. उद्योग | 12852 | 8.40 | ... | 8.40 | 8.40 | ... | 8.40 | 8.50 | ... | 8.50 |
| 3. पूर्वोत्तर क्षेत्र | 22552 | 1.00 | ... | 1.00 | 1.00 | ... | 1.00 | 1.00 | ... | 1.00 |
| **जोड़** | | **10.00** | **...** | **10.00** | **10.00** | **...** | **10.00** | **10.00** | **...** | **10.00** |

1. **सचिवालय-आर्थिक सेवाएंः** इसमें इस विभाग के सचिवालय व्यय, सरकारी क्षेत्र के नवरत्न और लघु-रत्न उपक्रमों के गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशकों के चयन के लिए खोज समिति, समझौता ज्ञापन से सम्बन्धित कार्यदल और सरकारी उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई), से सम्बन्धित स्थापना व्यय के लिए प्रावधान किया गया है।

2. **अन्तर्राष्ट्रीय सरकारी उद्यम संवर्धन केन्द्र को अंशदानः** इसमें विकासशील देशों में अन्तर्राष्ट्रीय उद्यम संवर्धन केन्द्र, जिसका भारत एक संस्थापक सदस्य है, की सदस्यता हेतु भारत के अंशदान तथा उत्कृष्ट निष्पादन हेतु सरकारी क्षेत्र उद्यमों को पुरस्कार प्रदान करने से संबंधित व्यय के प्रावधान शामिल है।

3. **केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के उपयुक्त कर्मचारियों का पुनर्प्रशिक्षण और पुनर्नियोजनः** इसमें परामर्श, पुनर्नियोजन, नए केन्द्रों की स्थापना/नोडल एजेन्सियों की वृद्धि करने आदि सम्बन्धी व्यय के लिए प्रावधान है, और इसमें परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण और पुनर्नियोजन स्कीम के तहत परियोजना को मानीटर करने के लिए भी निधि की व्यवस्था है।

4. **केन्द्रीय सरकारी उद्यमों और राज्य स्तर के उद्यमों से संबंधित व्यापक मुद्दों पर अनुसंधान,विकास एवं परामर्शी सेवाएंः** इसमें राज्य स्तरीय सरकारी उद्यमों के वार्षिक सर्वेक्षण. केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के व्यापक मुद्दों से संबंधित विषयगत परामर्शी सेवाएं एवं अध्ययन तथा सेमिनार, कार्यशाला आदि हेतु अनुदान सहायता के रूप में निधियों की व्यवस्था है।

5. **पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के हित की परियोजनाओं/योजनाओं के लिए प्रावधानः** इसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के हित की परियोजनाओं/योजनाओं के लिए एक मुश्त प्रावधान शामिल है।